"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 मार्च 2007—फाल्गुन 10, शक 1928

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2007

अधिसूचना

फा. क्रमांक 1860/डी-523/21-ब/छ. ग./07.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 72/डी-3179/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 04-01-06 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी के स्थान पर उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लेखित जिले पर कॉलम (3) में उल्लेखित अधिकारी को पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

क्रमांक (1)	विद्यमान पीठासीन अधिकारी (2)	पदस्थ न्यायिक अधिकारी का नाम (3)	जिले का नाम (4)
1.	श्री लाखन सिंह, विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस. टी.	श्री शरद कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश एस. सी./एस. टी.	राजनांदगांव

Raipur, the 23rd February 2007

NOTIFICATION

F. No. 1860/D-523/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 36 of the Narcotics Drugs and Psychotropic substances, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in this department Notification No. 72/D-3179/XXI-B/C. G./06, dated 4-1-06, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification,—

In the Schedule-For the officer mentioned in column (2) of the Schedule , the officer mentioned in column (3) shall be posted at the place mentioned in column (4) of the said Schedule, namely :—

S. No.	Name of the existing Presiding Officer	Name of the newly posted Judicial Officer	Name of the District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Lakhan Singh, Special Judge SC/ST	Shri Sharad Kumar Gupta, Special Judge SC/ST	Rajnandgaon

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पोद्दार, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.